

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर
क्रमांक: लेखा-12 / (प्रोग्राम) आं.जां.का. / 2022-23 / दिनांक:

—:संशोधित आदेश:—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक लेखा-12 (प्रोग्राम) आं.जां. / आं.जां.का. / 2023-24 / 3934 दिनांक 28.06.23 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

आ. जां. द. सं.	आन्तरिक जांच दल का नाम	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है	आदेशित अंकेक्षण अवधि	पूर्व में निर्धारित तिथि	अंकेक्षण हेतु संशोधित तिथि
2	श्री पवन प्रताप राजोरिया सहा0 लेखाधिकारी-प्रथम दल सदस्य श्री नेहरू लाल कनि0 लेखाकार मुख्यालय-जयपुर।	सीएचसी खण्डेला (सीकर)	04 / 16 से 03 / 23	10.08.23 से 28.08.23	10.08.23 से 05.09.23

उपरोक्त विवरण के अनुसार निर्देशित किया जाता है कि आं. जां. द. 2 अंकेक्षण अवधि उपरोक्तानुसार संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।


SD
वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: लेखा-12 / (प्रोग्राम) आं.जां.का. / 2022-23 / 5222

दिनांक: 09-22

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जौन-जयपुर।
 - श्री पवनप्रताप राजोरिया सहा0 लेखाधिकारी-प्रथम एवं श्री नेहरू लाल, कनि0 लेखाकार मुख्यालय-जयपुर को पालनार्थ।
- प्रभारी सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।


उप वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर